Y'...X(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 2587–दो/14

जिला – शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–9–14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग. 4384–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 16–6–14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू याचिका– /2014 . रिव्यू 2587-II/14

आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण ––1. राकेश पिता रामनाथ जायसवाल,
नि.–वार्ड नं.–21, जिला शहडोल (म.प्र).

2. प्रकाश जगवानी पिता खैराजमल सिंधी,
निवासी–वार्ड नं.–24, तहसील सुहागपुर,
जिला शहडोल (म.प्र).

14.8.14

14-8-14

बनाम

अनावेदक/प्रतिनिगरानीकर्ता– बुद्धु पिता रामकुमार गौड़,
निवासी–गौरतरा, तहसील सुहागपुर,
जिला शहडोल (म.प्र).

रिव्यू पिटीशन अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता बावत् माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक–निगरानी–4384–दो/12 राकेश आदि विरूद्ध बुद्धू में पारित आदेश दिनांक 16/06/2014 के संबंध में।

श्रीमान महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में रिव्यू पिटीशन आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के मुख्य तथ्य :–

1. यह कि, आवेदकगण द्वारा धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी क्रमांक–4384–दो/2012 प्रस्तुत की गई है जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ग्राह्य न करते हुये दिनांक 16/06/2014 को निरस्त कर दिया गया है।